e/;izns'k O;kolkf;d ijh{kk e.My] Hkksiky

ijh{kk lapkyu ,oa HkrhZ fu;e

lapkyuky;] Hkkjrh; fpfdRlk i)fr ,oa gksE;ksiSFkh] e/;izns'k 'kklu ds varxZr lafonk vk;qosZn fpfdRlk vf/kdkjh] lafonk gksE;ksiSFkh fpfdRlk vf/kdkjh rFkk lafonk ;qukuh fpfdRlk vf/kdkjh ds inksa gsrq p;u ijh{kk & 2009

• ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	18.11.2009 से
• ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि	18.12.2009 तक
• परीक्षा शुल्क	सभी अभ्यर्थियों के लिए रू. 500/– + 50/–रू. ऑनलाईन पोर्टल शुल्क

v/;k; & 1

lapkyuky;] Hkkjrh; fpfdRlk i)fr ,oa gkE;ksiSFkh] e/;izns'k 'kklu ds vUrxZr lafonk vk;qosZn fpfdRlk vf/kdkjh] lafonk gkE;ksiSFkh fpfdRlk vf/kdkjh rFkk lafonk ;wukuh fpfdRlk vf/kdkjh ds inksa gsrq p;u ijh{kk & 2009

p;u lac/kh vuqns'k

संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्रं./11/एनआरएचएम/605, दि. 26.08.2009, पत्र क्रं./11/एनआरएचएम/695, दि. 23.10.2009, म0प्र0 आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग नियुक्ति तथा सेवा शर्ते नियम 2006 में प्रकाशित राजपत्र दिनांक 16 मार्च 2007 एवं 17 अप्रैल 2007 तथा शासन का आदेश पत्र क्रं. एफ2–52/09/01/59, भोपाल, दिनांक 02.09.2009 अनुसार संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, संविदा होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी तथा संविदा यूनानी चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2009 हेतु निम्न निर्देश लागू होंगे :–

1-0 lkekU; %&

यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे, जो कि संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, संविदा होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी तथा संविदा यूनानी चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2009 के लिए आवेदन कर रहे हैं।

2-0 ifjHkk"kk,a %&

(अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।

(ब) मण्डल से तात्पर्य मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल से है।

(स) म.प्र. से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।

2-1 osrueku %& उक्त पदों हेतु निश्चित वेतन रू. 15000/– प्रतिमाह होगा।

3-0 inokj vkj{k.k rkfydk o osrueku %&

आरक्षण तालिका :– म.प्र. आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा संवर्ग संविदा सेवा (नियुक्ति सेवा शर्तो) नियम 2006 की कंडिका नियम–5 अनुसार रहेगा।

in dzekad&01 lafonk vk;qosZn fpfdRlk vf/kdkjh gsrq&¼dqy 180½

कमांक	वर्ग	पुरूष	महिला	विकलांग	कुल योग
1	अनारक्षित	63	28	5	96
2	अनुसूचित जाति	17	8	2	27
3	अनुसूचित जनजाति	21	10	1	32
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	15	8	2	25
कुल पदों संख्या :–		116	54	10	180

in dzekad&02 lafonk gkE;ksiSFkh fpfdRlk vf/kdkjh gsrq&¼dqy 180½

कमांक	वर्ग	पुरूष	महिला	विकलांग	कुल योग
1	अनारक्षित	63	28	5	96
2	अनुसूचित जाति	17	8	2	27
3	अनुसूचित जनजाति	21	10	1	32
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	15	8	2	25
कुल पदों संख्या :–		116	54	10	180

in dzekad&03 lafonk ;wukuh fpfdRlk vf/kdkjh gsrq&¼dqy 40½

कमांक	वर्ग	पुरूष	महिला	विकलांग	कुल योग
1	अनारक्षित	14	7	1	22
2	अनुसूचित जाति	3	2	1	06
3	अनुसूचित जनजाति	5	2	निल	07
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	4	1	निल	05
कुल पदों संख्या :–		26	12	02	40

4-0 vk;q %&

म0प्र0 आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा संवर्ग संविदा सेवा नियुक्ति तथा सेवा शर्तो नियम 2006 की कंडिका 3 अनुसार नियुक्ति के वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन अर्थात 01.01.09 को अधिकतम 40 वर्ष होगी ।

5-0 'kS{kf.kd ;ksX;rk %&

आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा पद्धति में स्नातक उपाधि जो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/बार्ड द्वारा प्रदत्त हो तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद से मान्यता प्राप्त हो या किसी बोर्ड अथवा परिषद् द्वारा प्रदत्त चार वर्षीय पत्रोपाधि (डी.एच.एम.एस) जो केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा मान्याता प्राप्त हो तथा विधि द्वारा स्थापित आयुर्वेद /होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा परिषद्/बोर्ड से रजिस्ट्रेशन।

टीपः– आवेदन की तिथि तक इन्र्टनशिप पुर्ण करना आवश्यक होगा।

6-0 'kqYd dk fu/kkZj.k %&

उक्त परीक्षा हेतु सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क रू. 500/– देय होगा।

7-0 p;u dk vk/kkj %&

म0प्र0 आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा संवर्ग संविदा सेवा नियुक्ति तथा सेवा शर्ते नियम 2006 की कंडिका 7 अनुसार चयन समिति निम्नलिखित रीति में अभ्यर्थियों को अंक प्रदाय कर अभ्यर्थियों का निर्धारण करेगी।

(क) स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष पत्रोपाधि के स्तर पर अभिप्राप्त अंको के अनुपात में (अधिकतम)	60 अंक
(ख) स्नातकोत्तर उपाधि/पत्रोपाधि/डिप्लोमा के लिए	20 अंक
(ग) साक्षात्कार (अधिकतम)	20 अंक

टिप्पणीः– अधिक संख्या मे आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति मे स्नातक उपाधि में प्राप्त अंकों के आधार पर पद के तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। स्नातकोत्तर उपाधि/पत्रोपाधि/डिप्लोमा के अंकों का निर्धारण साक्षात्कार के समय उनके मूल प्रमाण–पत्रों के आधार पर सत्यापन समिति द्वारा किया जायेगा।

7-1 lk{kkRdkj gsrq fo"k;@ikB~;Øe %&

आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी स्नातक उपाधि स्तर का पाठ्यक्रम।

7-2 ewy fuoklh %&

आवेदक को मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए आवेदक को साक्षात्कार के समय नायब तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जायेगा।

7-3 tkfr izek.k&i= %&

आवेदक को जाति प्रमाण–पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जायेगा।

8-0 ;k=k O;; dh izfriwfrZ %&

उक्त चयन प्रक्रिया/साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को विभाग/मण्डल द्वारा यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

नोटः– अभ्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर, साक्षात्कार हेतु एक पद के विरूद्ध 3 अभ्यार्थियों को साक्षात्कार में बुलाने के लिये शासन के आदेश कमांक/1–26/06/3/55,दिनांक 06.07.07 के आधार पर स्नातक स्तर पर 5 वर्षो के अंकों के प्रतिशत के आधार पर, निर्धारित कट ऑफ मार्क पर बुलाये जाने का प्रावधान है।

स्नातकोत्तर उपाधि वाले चिकित्सकों को 20 अंक साक्षात्कार के समय जोड़ कर, अभ्याथियों का चयन मेरिट आधार पर किया जाना है। पूर्व में की गई नियुक्तियों पर याचिका कमांक 8300/007 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा साक्षात्कार के समय पी.जी. डिग्री/डिप्लोमा के 20 अंक जोडे जाने का का नियम 5(7) को नियमानुसार सही मान्य किया है न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 18/02/09 के आदेश की छायाप्रति संलग्न है।

संचालक
भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

v/;k; & 2
e/; izns'k O;kolkf;d ijh{kk e.My] Hkksiky
funsZ'k ,oa ijh{kk lapkyu fu;e

2-1 egRoiw.kZ %&

- ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन काउंसिलिंग/साक्षात्कार/चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा चयन निरस्त किया जा सकेगा।

- ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है, किन्तु साक्षात्कार/नियुक्ति के पूर्व समस्त प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन मण्डल/विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी दृष्टिगोचर होने पर अभ्यर्थिता निरस्त समझी जायेगी।

2-2 LØwVuh@vkosnu&i= dk fujLrhdj.k %&

ऑनलाईन पद्धति से निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की स्क्रुटनी निम्न बिन्दुओं पर की जायेगी :–

(i)	अभ्यर्थी का फोटो	(ii)	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	(iii)	श्रेणी
(iv)	संवर्ग	(v)	मूल निवासी	(vii)	लिंग
(vi)	परीक्षा जिसके लिए आवेदन किया गया है	(viii)	स्नातक अंकों की जानकारी	(viii)	जन्मतिथि

उपरोक्त जानकारी रिक्त, गलत या अपूर्ण की स्थिति में आवेदन–पत्र निरस्त किया जायेगा।

2-3 fujLr gksus ds dkj.kksa dh lwpuk %&

बिन्दु क्रं. 2.2 में उल्लेखित कारणों से आवेदन–पत्र निरस्त होने की स्थिति में आवेदक को साक्षात्कार हेतु तैयार की जाने वाली सूची में शामिल नहीं किया जायेगा तथा इस कार्यालय द्वारा इस संबंध में पृथक से सूचित नहीं किया जावेगा।

2-4 lk{kkRdkj gsrq cqykok i= :-

मण्डल कार्यालय में नियमानुसार साक्षात्कार के लिए मान्य आवेदन–पत्र के अभ्यर्थियों को पत्र जारी किए जायेंगे, जिसकी सूचना मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर भी अपलोड की जायेगी। अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

ukV %& lk{kkRdkj gsrq cqykok i= tkjh gksus ds mijkar fdlh rjg dh =qfV ds nf"Vxkspj gksus ij e.My mls j)@fujLr@ifjofrZr djus dk vf/kdkj lqjf{kr j[krk gSA

2-5 lk{kkRdkj 'kgj %& साक्षात्कार मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल में आयोजित किए जायेंगे।

2-6 ijh{kk ifj.kke dk izdk'ku %&

प्रवेश नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा पात्र घोषित अभ्यर्थियों की सूची बनाई जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर देखा सकता है। परीक्षा परिणाम मंडल कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध होगा। प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में परीक्षा परिणाम संबंधी विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

2-7 vad lwph %

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर दी जायेगी। अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2-8 MqIyhdsV vad lwph %

इस परीक्षा में मण्डल द्वारा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है। उपरोक्त नियम क्रं. 2.13 में दर्शाये अनुसार अभ्यर्थी अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं।

2-9 e-iz- O;kolkf;d ijh{kk eaMy dk dk;Z izos'k ijh{kk dk lapkyu ,oa mldk ifj.kke ?kksf"kr djuk ek= gksxk %&

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2-10 vugZrk,sa %&

1. जो पुरूष उम्मीदवार 21 वर्ष की आयु तथा महिला उम्मीदवार 18 वर्ष की आयु के पूर्व विवाहित हो।

2. 26 जनवरी 2001 के बाद की उम्मीदवार की तीसरी संतान हो। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होंगे।

3. जिस आवेदक द्वारा :–

   अ. पररूपण धार (इम्परसोनेशन) किया हो, या
   ब. किसी व्यक्ति से पदरूपण धारण कराया हो–किया हो, या
   स. फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
   द. चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो, या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
   इ. चयन प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो, धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, या
   ई. परीक्षा में किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो।

उपरोक्त प्रकार से दोषी पाए जाने वाले आवेदकों को अपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी :–

(1) विभाग द्वारा उस चयन के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है, उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और या

(2) उसे स्थायी रूप से विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा :–

(क) विभाग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

(ख) राज्य शासन द्वारा या तथा उनके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा।

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो, तो उपरोक्त नियमों के कार्यवाही की परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि :–

(अ) उम्मीदवार को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ब) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया हो।

(स) प्रत्येक आवेदक से अपेक्षा है कि वह आवेदन–पत्र में सही जानकारी भरे। आवेदन–पत्र में दी गई जानकारी को ही मना जाएगा एवं इस संदर्भ में आवेदक की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

2-11 {ks=kf/kdkj %&

किसी भी परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

–––0–––